रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052022-235898
CG-DL-E-20052022-235898

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2022/वैशाख 29, 1944
No. 267] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2022/VAISAKHA 29, 1944

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2022

ओवर दी कॉउंटर (ओटीसी) प्लेटफॉर्म की स्थापना और प्रचालन हेतु पंजीकरण एवं आवेदन दाखिल करने के लिए दिशानिर्देश

संख्या.एल-1/257/2020(पीएमआर-3)/केविविआ.—परिचय

आयोग ने 15 फरवरी, 2021 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर बाजार विनियम) 2021 को अधिसूचित किया, जो 15 अगस्त, 2021 से प्रभावी हुआ। पीएमआर 2021 का भाग-6 ओवर द काउंटर (ओटीसी) प्लेटफॉर्म से संबंधित उपबंधों को विनिर्दिष्ट करता है। पीएमआर 2021 के विनियम 44 के खंड (1) में आयोग द्वारा ओटीसी प्लेटफॉर्म की स्थापना और प्रचालन के लिए पंजीकरण और आवेदन दाखिल करने हेतु दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है। सुसगंत उपबंध निम्नानुसार है:

> *"44 (1) ओटीसी प्लेटफॉर्म की स्थापना और प्रचालन के लिए पंजीकरण प्रदान किए जाने हेतु आवेदन, पंजीकरण और आवेदन दाखिल करने के लिए यथा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दाखिल किया जाएगा।"*

पीएमआर 2021 के पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसरण में, आयोग निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाता है:

1. शीर्षक और प्रयोज्यता

1.1 इन दिशानिर्देशों को "ओवर दी काउंटर (ओटीसी) प्लेटफॉर्म, 2022 की स्थापना और प्रचालन के लिए पंजीकरण और आवेदन दाखिल करने के लिए दिशानिर्देश" कहा जाएगा।

1.2 ये दिशानिर्देश शासकीय राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे।

1.3 ये दिशानिर्देश ओटीसी प्लेटफॉर्म, ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालक और ओटीसी प्लेटफॉर्म पर सहभागियों पर लागू होंगे।

2. दिशानिर्देशों का क्षेत्र

ये दिशानिर्देश वर्णन करते हैं: (क) पात्रता मानदंड; (ख) ओटीसी प्लेटफॉर्म की स्थापना और प्रचालन के लिए आवेदन दाखिल करने और पंजीकरण प्रदान करने की क्रियाविधि; (ग) प्रचालन और जोखिम प्रबंधन ढांचा; और (घ) ओटीसी प्लेटफॉर्म द्वारा सूचना प्रस्तुत करना।

3. परिभाषाएँ और व्याख्या

3.1 इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

क) **"अधिनियम"** से समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

ख) **"कारोबार नियमों"** से ओटीसी प्लेटफॉर्म के कारोबार नियम अभिप्रेत हैं;

ग) **"आयोग"** से अधिनियम की धारा 76 के अधीन गठित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

घ) **"निवल मालियत"** से (i) संचित हानियों का सकल मूल्य, (ii) बट्टे खाते नहीं डाले गए आस्थगित व्यय (विविध व्यय को छोड़कर), (iii) सहयोगियों को ऋण एवं अग्रिम, और (iv) सहयोगियों में किए गए निवेश द्वारा घटाए गए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी और अनिवार्य रूप से संपरिवर्तनीय अधिमानी शेयर और फ्री रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन तथा अवक्षयण के राइट बैक से सृजित रिजर्व को छोड़कर) का सकल मूल्य अभिप्रेत है;

ण) **"ओवर द काउंटर (ओटीसी) प्लेटफॉर्म"**, विद्युत के क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है;

च) **"ओवर द काउंटर (ओटीसी) प्लेटफॉर्म प्रचालक"** से इन दिशानिर्देशों के साथ पठित पीएमआर 2021 के अधीन ओटीसी प्लेटफॉर्म की स्थापना और प्रचालन के लिए पंजीकृत इकाई अभिप्रेत है;

छ) **"फीस का संदाय विनियम"** से समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 या उसके बाद पुनराधिनियमन अभिप्रेत है;

ज) **"विद्युत बाजार विनियम"** या **"पीएमआर 2021"** से समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021 अभिप्रेत है;

झ) **"सापेक्ष"** का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 में इसे निर्दिष्ट है।

3.2 उपर्युक्त के अलावा और जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो या यदि विषय-वस्तु की अन्यथा आवश्यकता हो, तो इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम या पीएमआर 2021 या आयोग द्वारा इसके तहत बनाए गए अन्य नियमों में परिभाषित किया गया है। उन्हें अधिनियम या पीएमआर 2021 या आयोग द्वारा बनाए गए ऐसे अन्य नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

4. ओटीसी प्लेटफॉर्म के उद्देश्य

पीएमआर 2021 के विनियम 41 के अधीन यथा उपबंधित ओटीसी प्लेटफॉर्म के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:

(i) विद्युत के संभावित क्रेता और विक्रेता की सूचना के साथ इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान करना;

(ii) क्रेताओं और विक्रेताओं से संबंधित डाटा का निधान संग्रह बनाए रखना और बाजार सहभागियों को ऐसा ऐतिहासिक डाटा प्रदान करना; और

(iii) बाजार सहभागियों को उन्नत डाटा विश्लेषण उपकरणों के रूप में ऐसी सेवाएं प्रदान करना।

5. ओटीसी प्लेटफॉर्म के प्रचालन के लिए पंजीकरण की आवश्यकता

कोई भी इकाई ओटीसी प्लेटफॉर्म का प्रचालन तब तक नहीं करेगी जब तक कि इन दिशानिर्देशों के साथ पठित पीएमआर 2021 के अधीन आयोग द्वारा ऐसे प्लेटफॉर्म को स्थापित करने और प्रचालित करने के लिए पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाती।

6. ओटीसी प्लेटफॉर्म के पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड

ओटीसी प्लेटफॉर्म की स्थापना और प्रचालन के लिए पंजीकरण दिए जाने की मांग करने वाले आवेदक से निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना अपेक्षित होगा:

6.1 सामान्य मानदंड

(i) आवेदक को, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन भारत में निगमित कंपनी होना चाहिए।

(ii) ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालक के रूप में पंजीकरण मांगने वाली आवेदक कंपनी में अनिवासियों द्वारा शेयरधारिता, यदि कोई हो, सभी लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप होगी।

(iii) आवेदक कंपनी के पास विशेषतः विद्युत क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी सेवाओं या उत्पादों के प्रचालन या विकास में कम से कम पांच वर्षों के अनुभव धारक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी होंगे।

स्पष्टीकरण: इस खंड के उद्देश्य के लिए वाक्यांश 'प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी' का वही अर्थ होगा जो इसे कंपनी अधिनियम, 2013 में इसे निर्दिष्ट किया गया है।

(iv) निम्नलिखित इकाइयां ओटीसी प्लेटफॉर्म (नकारात्मक सूची) की स्थापना और प्रचालन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगी:

(क) पावर एक्सचेंज या उसका कोई सहयोगी;

(ख) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी या उसका कोई सहयोगी; और

(ग) ग्रिड से जुड़ी इकाइयां जैसे उत्पादन कंपनियां, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक, वितरण अनुज्ञप्तिधारक, निर्बाध पहुंच उपभोक्ता या उनकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, या उनका कोई सहयोगी।

6.2 तकनीकी मानदंड

(i) आवेदक अपनी प्रणाली, डाटा और नेटवर्क के संबंध में उच्च स्तर की विश्वसनीयता, उपलब्धता, मापनीयता और सुरक्षा के साथ सशक्त प्रौद्योगिकी अवसंरचना का स्वामित्व और रखरखाव करेगा, जो इसके प्रचालन का समर्थन करने और संबंधित जोखिमों को संभालने के लिए उपयुक्त होगा।

(ii) आवेदक की प्रौद्योगिकी अवसंरचना, वास्तविक समय के आधार पर या वास्तविक समय के समीप के आधार पर सूचनाओं के आदान-प्रदान में सक्षम होगी।

(iii) आवेदक, बोर्ड के अनुमोदन से साइबर हमलों और आशंकाओं से प्रणाली, नेटवर्क और डाटाबेस को होने वाले जोखिम को संभालने के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर रेसिलियन्स ढांचा तैयार और कार्यान्वित करेगा और इसे

सूचना हेतु आयोग को प्रस्तुत करेगा। आईटी सिस्टम का सुरक्षा ऑडिट, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

6.3 वित्तीय मानदंड

(i) पीएमआर 2021 के विनियम 43 के खंड (1) के उप-खंड (क) के अनुसार, आवेदक की न्यूनतम निवल मालियत, पंजीकरण प्रदान किए जाने हेतु आवेदन दाखिल करने की तारीख से तुरंत 30 दिन पूर्व के अंदर किसी भी तारीख को 1 (एक) करोड़ रुपये होगी।

(ii) कंपनी या उसके किसी सहयोगियों, या भागीदारों, या प्रवर्तकों, या निदेशकों को दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

7. ओटीसी प्लेटफॉर्म की स्थापना और प्रचालन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र और दस्तावेज

आवेदन, इन दिशानिर्देशों के साथ संलग्न प्रपत्र-**I** के अनुसार और उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दाखिल किया जाएगा।

8. आवेदन दाखिल करने की क्रियाविधि

8.1 ओटीसी प्लेटफॉर्म को स्थापित करने और प्रचालित करने के लिए पंजीकरण दिए जाने हेतु आवेदन, फीस का संदाय विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन फीस के साथ आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन (फॉर्म-I) दाखिल किया जाएगा।

8.2 आवेदक, फॉर्म-।। के अनुसार प्रस्तावित ओटीसी प्लेटफॉर्म के विवरणों के साथ आवेदन अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

8.3 आवेदक, प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर अपना उत्तर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

9. पंजीकरण प्रदान किया जाना

9.1 आयोग, प्रस्ताव पर विचार करने के बाद और यथा आवश्यक जांच करने के बाद, या तो ओटीसी प्लेटफॉर्म की स्थापना और प्रचालन के लिए समुचित समझी जाने वाली शर्तों के अध्यधीन पंजीकरण (फॉर्म- **III** के अनुसार) प्रदान कर सकता है या आवेदक के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है:

परंतु यह कि आयोग, आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

9.2 पीएमआर 2021 के विनियम 44 के खंड (3) के अनुसार ओटीसी प्लेटफॉर्म का पंजीकरण, पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए तब तक जारी रहेगा जब तक कि इससे पूर्व ऐसा पंजीकरण प्रतिसंहृत या रद्द नहीं किया जाता है।

9.3 किसी इकाई को ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालित करने के लिए दिया गया पंजीकरण हस्तांतरणीय नहीं है।

9.4 आयोग, ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालक द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पर, और यथा आवश्यक जांच करने के बाद, एक समय पर 5 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए पंजीकरण नवीनीकृत कर सकता है।

10. वार्षिक पंजीकरण प्रभार

10.1 ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालक, फीस का संदाय विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक पंजीकरण प्रभार का भुगतान करेगा।

10.2 वार्षिक पंजीकरण प्रभार प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल तक देय होगा।

11. पंजीकरण की शर्तें

प्रदान किया गया पंजीकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात्:

(i) ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालक, अधिनियम, पीएमआर 2021, इन दिशानिर्देशों और अन्य लागू कानूनों के उपबंधों का पालन करेगा; और

(ii) ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालक द्वारा आयोग को पूर्व में प्रस्तुत की गई सूचना में जब भी कोई भौतिक परिवर्तन होगा, तो ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालक इसकी सूचना आयोग को लिखित में देगा।

12. प्रचालन ढांचा

ओटीसी प्लेटफ़ॉर्म प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि ओटीसी प्लेटफ़ॉर्म अपने व्यावसायिक नियमों के अनुसार प्रचालित हो। ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालक निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करेगा:

(i) सहभागिता: ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालक:

(क) अपने ओटीसी प्लेटफॉर्म पर सहभागिता के लिए उद्देश्यपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मानदंड रखें।

(ख) सहभागियों के ऑन-बोर्डिंग के समय उचित परिश्रम करें और उनके बारे में सभी सुसंगत जानकारी बनाए रखें।

(ग) विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) या स्थायी खाता संख्या (पैन) का उपयोग करके विशिष्ट रूप से अपने ओटीसी प्लेटफॉर्म पर सहभागियों की पहचान करें।

(ii) सूचना तक पहुंच: ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालक निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सभी बाजार सहभागियों को क्रेताओं और विक्रेताओं से संबंधित ऐतिहासिक डाटा उपलब्ध कराएगा और उन्नत डाटा विश्लेषण उपकरण के रूप में ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा।

13. जोखिम प्रबंधन ढांचा

13.1 ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालक अपने प्रचालन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि इसके प्रचालन से जुड़े जोखिमों को ठीक से पहचाना जाए और विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित किया जाए।

13.2 ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालक:

(क) अपने ओटीसी प्लेटफॉर्म पर सहभागियों के लिए अभिगम नियंत्रण सुनिश्चित करें और अपने ओटीसी प्लेटफॉर्म पर अनधिकृत पहुंच को रोकें।

(ख) जहां हितों के टकराव की संभावना है, वहां वित्तीय या बुनियादी ढांचा सेवाओं में संलग्न न हों।

(ग) सुनिश्चित करें कि ओटीसी प्लेटफॉर्म का संचालन सदैव पंजीकरण की शर्तों और विधिक और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में है।

13.3 ओटीसी प्लेटफॉर्म अनुबंधों के व्यवस्थापन, निष्पादन, निकासी या निपटान में संलग्न नहीं होगा।

13.4 ओटीसी प्लेटफॉर्म किसी भी प्रकार से सहभागियों के निर्णय लेने को प्रभावित किए बिना तटस्थता बनाए रखेगा।

14. विवाद समाधान

ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालक किसी भी विवाद को दूर करने के लिए एक व्यवस्था करेगा जो उसके सदस्यों के बीच उत्पन्न हो सकता है या जिसके उत्पन्न होने की संभावना है।

15. निगरानी

ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली और नियंत्रण कार्यान्वित करेगा कि सहभागी निष्पक्षता और अखंडता के साथ सहभागिता करें और वास्तविक समय के साथ-साथ कार्योत्तर आधार पर गतिविधियों की निगरानी करें।

16. पारदर्शिता

ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालक संबंधित पक्षों या समूह एजेंसियों की सहभागिता से उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव, यदि कोई हो, का खुलासा आयोग को करेगा।

17. डाटा का संरक्षण, पहुंच और रिपोर्टिंग

17.1 ओटीसी प्लेटफॉर्म प्रचालक पर गतिविधियों से संबंधित सभी डाटा कम से कम 10 वर्षों के लिए आसानी से पुनर्प्राप्त करने योग्य मीडिया में बनाए रखा जाएगा। डाटा के भंडारण के लिए न्यूनतम आवश्यकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग या भारतीय कानूनों या विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किसी भी जांच के लिए मांगे गए डाटा को जांच पूरी होने की तारीख से तीन साल तक बनाए रखा जाएगा।

17.2 ओटीसी प्लेटफार्म ऑपरेटर निम्नलिखित कार्य करेगा

i. फॉर्मेट में और टाइमफ्रेम के अंदर जैसा भी, आयोग द्वारा अपेक्षित है आयोग द्वारा यथाअपेक्षित कोई डाटा या सूचना उपलबध करवाना।

ii. संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत के बाद नौ महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं, लेखों की सभी अनुसूचियों और नोट सहित निदेशक की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक रिपोर्ट, तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता सहित वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां प्रस्तुत करना; और

iii. बिना किसी अनुचित देरी के गतिविधियों के विघटन या बाजार दुरुपयोग, यदि पाया गया हो, उससे उत्पन्न किसी घटना (घटनाओं(की घटनाओं के बारे में आयोग को सूचित करना।

18. पंजीकरण का प्रतिसंहरण

18.1 आयोग पंजीकरण का प्रतिसंहरण कर सकता है यदि ओटीसी प्लेटफार्म ऑपरेटर को पीएमआर 2021 के उपबंधों या इन मार्गनिर्देशों या किसी अन्य नियमावली या विनियम या पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है।

परंतु की आयोग ओटीसी प्लेटफार्म के लिए पंजीकरण का प्रतिसंहरण करने से पूर्व ओटीसी प्लेटफार्म ऑपरेटर को सुनवाई किए जाने के समुचित अवसर प्रदान करेगा।

18.2 मौजूदा ऑपरेटरों से प्राप्त नवीकरण के आवेदन के रदद होने या आयोग द्वारा पंजीकरण के प्रतिसंहरण के मामले में ओटीसी प्लेटफार्म ऑपरेटर 90 दिनों के अंदर ओटीसी प्लेटफार्म परिचालन को रोक देगा जब तक कि आयोग ने ओटीसी प्लेटफार्म के परिचालनों को रोकने के लिए लिखित संप्रेषण में किसी अन्य विनिर्दिष्ट तारीख का निर्दिष्ट न किया हो।

18.3 ओटीसी प्लेटफार्म ऑपरेटर के पंजीकरण के प्रतिसंहरण के मामले में मूल रूप से पंजीकरण को आयोग को अभ्यर्पित किया जाएगा।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./86/2022-23]

फार्म-I

ओटीसी प्लेटफॉर्म के लिए पंजीकरण के प्रदान के लिए आवेदन पत्र

सामान्य सूचना

1. आवेदक का नाम:
2. पता:
   (क) पंजीकृत कार्यालय का पता:
   (ख) पत्राचार के लिए पता:
   (ग) वेबसाइट का पता:
3. संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता:
4. संपर्क दूरभाष संख्या:
5. फैक्स नंबर:
6. ई-मेल आईडी:
7. आवेदक की स्थिति:
   (भले ही कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 के अधीन समाविष्ट की गई हो)
8. समावेशन/पंजीकरण का स्थान:
9. समावेशन/पंजीकरण का वर्ष:
10. संगम ज्ञापन का खंड जो ओटीसी प्लेटफार्म को स्थापित करने और प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत है (संगत भाग का सार)
11. (क) प्राधिकृत शेयर पूंजी
    (ख) निर्गमित शेयर पूंजी
    (ग) अभिदत्त शेयर पूंजी
    (घ) प्रदत्त शेयर पूंजी

    नोट: निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जाएंगी:
    (क) समावेशन / पंजीकरण का प्रमाण पत्र
    (ख) कारोबार आरंभ करने के लिए प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
    (ग) संगमज्ञापन और संगम अनुच्छेद
    (घ) आवेदक को वचनबद्ध करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में मूल मुख्तारनामा
    (ड़) पिछले वर्ष के पैन, टैन और आईटीआर की प्रति
12. (i) आवेदन की तिथि (यदि लागू हो) से पहले पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित खातों के अनुसार निवल मालियत।
    (ii) इन मार्गनिर्देशों के खंड 6.3(i) के अनुसार और आवेदन के साथ विशेष तुलनपत्र तैयार करने की तारीख को निवल मालियत।
13. आवेदन करने की तारीख को शेयरहोल्डिंग के ब्योरे
    (प्रत्यक्ष रूप से आवेदक या उसके संबंधियों के शेयरों के 5% और अधिक की होल्डिंग के प्रत्येक शेयर धारकों के ब्यौरे दें)
    (क) शेयरधारक का नाम
    (ख) नागरिकता
    (ग) आवासीय स्थिति
    (घ) धारित शेयरों की संख्या

(ड़) कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत होल्डिंग

14. (i) आवेदन की तारीख से पूर्व पिछले वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार वार्षिक टर्नओवर (यदि लागू हो)।

(ii) इन मार्गनिर्देशों के खंड 6.3(i) के अनुसार और आवेदन के साथ विशेष लेखापरीक्षित बैलेंस शीट तैयार करने की तारीख पर टर्नओवर।

संलग्नक: आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

एक आवेदक ओटीसी प्लेटफॉर्म का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेगा जिसके लिए प्राधिकार की मांग की गई है, जिसमें विवरण शामिल है, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं है:

(i) दी गयी सेवाओं के ब्यौरे

(ii) प्रमुख संगठनात्मक संरचना

(iii) प्रमुख प्रक्रियाएं

(iv) सांकेतिक परियोजना योजना

(v) आवेदक की संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता: आवेदक को अपनी संगठनात्मक संरचना और प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारियों के पाठ्यक्रम जीवन, प्रस्तावित कार्यालय और संचार सुविधाएं इत्यादि के रूप में, इन विनियमों के अनुसार, अपनी संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता का प्रमाण संलग्न करना अपेक्षित है।

(vi) दृष्टिकोण और पद्यति: आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तावित व्यवस्थाओं की स्थापना के लिए दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली का वर्णन करना अपेक्षित है।

(vii) **फॉर्म- IV** के अनुसार शपथपत्र

स्थान: **(आवेदक या अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)**

दिनांक:

फार्म -II

आवेदक का नाम

पंजीकृत कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय का पता

1.	उपर्युक्त व्यक्ति, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी (आवेदक) ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष ओटीसी प्लेटफॉर्म का पंजीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन किया है। आवेदक के संबंध में आवश्यक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं: i) प्राधिकृत, निर्गमित , अभिदत्त और प्रद्त्त पूंजी। ii) वित्तीय और तकनीकी दुरूस्तता iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मियों का प्रोफाइल। iv) आवेदन की तारीख को निवल मालियत । v) इस आशय का विवरण कि आवेदक संगम ज्ञापन या किसी अन्य दस्तावेज के अधीन ओटीसी प्लेटफार्म की स्थापना और प्रचालन के लिए प्राधिकृत है। vi) उन मामलों का ब्यौरे, यदि कोई हैं, जहां आवेदक या उसका कोई एसोसिएट, या साझेदार या प्रमोटर, या निदेशकों को दिवालिया घोषित किया गया है और उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया गया हो। vii) उन मामलों के ब्यौरे यदि कोई है जिसमें आवेदक या उसका कोई एसोसिएट, या साझेदार या प्रमोटर, या निदेशकों को आवेदन करने के वर्ष के पूर्ववर्त्ती 3 वर्षों के दौरान और आवेदक करने के वर्ष से पहले के तीन वर्षों के दौरान किसी आर्थिक अपराध या कदाचार या धोखाधड़ी के अपराध का दोषी ठहराया गया है और इस तरह की सजा के परिणामस्वरूप उपरोक्त व्यक्ति को कारावास से रिहा करने की तारीख, यदि कोई हो। व्यक्ति का नाम आवेदक के साथ संबंध अपराध की प्रकृति दोषसिद्धि की तिथि
2.	आयोग के समक्ष किया गया आवेदन और दाखिल किये गये अन्य दस्तावेज....................(उस व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता और टेलीफोन संख्या दें जिसके साथ आवेदन का निरीक्षण किया जा सकता है।) के साथ किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।
3.	आयोग के समक्ष किए गए आवेदन और दाखिल अन्य दस्तावेजों..(वेबसाइट का पता दें जिसपर आवेदन पोस्ट किया गया है) को पोस्ट किया गया है।
4.	आयोग के समक्ष किए गए आवेदन पर आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली को भेजा जाए जिसकी प्रति आवेदक को भी भेजा जाए।
5.	इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्राप्त होने पर आयोग द्वारा किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

स्थान:

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम

फार्म-III

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग

ओटीसी प्लेटफॉर्म का पंजीकरण

1. विद्युत अधिनियम 2003(इसके बाद अधिनियम के रूप में उल्लिखित) के अधीन प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (इसके बाद में 'आयोग' के रूप में उल्लिखित), एतद द्वारा ओटीसी प्लेटफार्म के रुप में इस पंजीकरण को मंजूरी देता है जिसका रजिस्ट्रर्ड कार्यालय अधिनियम में दी गयी निबंधन व शर्तों के अध्यधीन......................क्षेत्र में………………………………..में स्थिति है, अधिनियम के अधीन (इसके बाद नियमावली के रूप में उल्लेख किया गया है) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गये नियमावली और सांविधिक संशोधनों, विकल्पों, संशोधनों, उसके पुनराधियम सहित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत अधिनियम) 2021 (आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट (इसके बाद में 'पीएमआर 2021' के रूप में उल्लेख किया गया है), के अध्यधीन किया गया है जो इस पंजीकरण के अभिन्न भाग के रूप में पठित होगा।
2. ये पंजीकरण ओवर द काउंटर प्लेटफार्म के प्रचालन एवं स्थापना के लिए पंजीकरण एवं आवेदन दाखिल करने के लिए मार्गनिर्देशों और अधिनियम के उपबंधों, नियमावली और विनियमों के अनुसार अंतरणीय नहीं है।
3. (i) ओटीसी प्लेटफॉर्म ऑपरेटर आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा:
   (क) अधिनियम के तहत किसी भी अनुज्ञप्तिधारी की प्रयोज्यता खरीद या अधिग्रहण या अन्यथा प्राप्त करने के लिए कोई लेनदेन करना; या
   (ख) अधिनियम के तहत किसी भी अनुज्ञप्तिधारी की प्रयोज्यता के साथ अपने व्यवसाय का विलय करना।
   (ii) ओटीसी प्लेटफॉर्म आयोग के पूर्वानुमोदन के अपना रजिस्ट्रेशन, बिक्री, लीज, विनिमय या अन्यथा से अपने कारोबार या उसके किसी भी भाग का अंतरण किसी भी समय नहीं करेगा।
   (iii) उप-खंड (1) और उपखंड (2) में उल्लिखित किसी भी संव्यवहार से संबंधित कोई करार, जब तक कि आयोग के अनुमोदन से नहीं किया जाता है, अभिशून्य होगा।
4. ओटीसी प्लेटफॉर्म ऑपरेटर को इस पंजीकरण की स्वीकृति किसी भी तरह से ओटीसी प्लेटफॉर्म के लिए किसी अन्य व्यक्ति को पंजीकरण प्रदान करने के लिए आयोग के अधिकार को बाधित या प्रतिबंधित नहीं करेगा। ओटीसी प्लेटफॉर्म ऑपरेटर अनन्य रूप से कोई दावा नहीं करेगा।
5. यह पंजीकरण इसके जारी होने की तारीख से आरंभ होगा और जब तक इसे पहले प्रतिसंहरित नहीं किया जाता है, यह 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए जारी करेगा।
6. ओटीसी प्लेटफॉर्म ऑपरेटर विद्युत के व्यापार या पावर एक्सचेंज के संचालन के कारोबार में शामिल नहीं होगा।
7. जब तक आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ओटीसी प्लेटफॉर्म ऑपरेटर वार्षिक पंजीकरण शुल्क का भुगतान करेगा जैसा कि शुल्क के भुगतान विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फार्म-IV

शपथ पत्र

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत ___/___/_____ को समावेषित-------------- मैं/, ___________ के निदेशक (इसके बाद "कंपनी" कहा गया है), जिसका पंजीकृत कार्यालय __________ में है और जिसका सीआईएन नंबर __________ है, मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और निम्नानुसार वर्णित करता हूं:
2. कंपनी या उसके किसी सहयोगी, या भागीदारों, या प्रमोटरों, या निदेशकों को दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।
3. कंपनी या उसके किसी सहयोगी, या भागीदारों, या प्रमोटरों, या निदेशकों को आवेदन करने के वर्ष के दौरान और आवेदन करने के तत्काल पूर्व तीन वर्षों के दौरान नैतिक अधमता, आर्थिक अपराधों की धोखाधड़ी के मामलों में दोषी नहीं पाया गया है।
4. कंपनी या उसके किसी सहयोगी, या भागीदारों, या प्रमोटरों, या निदेशकों को अधिनियम के किसी उपबंधों या उसके अधीन बनाए गये नियमावली या विनियमों या किसी कार्यवाही में उपयुक्त आयोग द्वारा किसी आदेश के उल्लघंन का दोषी नहीं पाया गया है।

मैं सत्यनिष्ठा से कहता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है।

हस्ताक्षर: ____________________

(अभिसाक्षी)

सत्यापन:

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान: _________ हस्ताक्षर: _________

(अभिसाक्षी)

दिनांक: __________________

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2022

Guidelines for
Registration and Filing Application for Establishing and Operating Over the Counter (OTC) Platform

No. L-1/257/2020/(PMR-3)/CERC.—Introduction

The Commission notified the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market Regulations) 2021 on 15th February, 2021 that came into effect from 15th August, 2021. Part-6 of PMR 2021 specifies the provisions relating to the Over the Counter (OTC) Platform. Clause (1) of Regulation 44 of PMR 2021 requires the Commission to notify the guidelines for registration and filing application for establishing and operating OTC Platform. The relevant provision reads as under:

"44 (1) Application for grant of registration to establish and operate OTC Platform shall be filed online on the website of the Commission, in accordance with the guidelines for registration and filing application as may be notified."

In pursuance of the aforesaid provisions of PMR 2021, the Commission makes the following Guidelines:

1. Title and Applicability

1.1 These Guidelines may be called "Guidelines for Registration and Filing Application for Establishing and Operating Over the Counter (OTC) Platform, 2022".

1.2 These Guidelines shall come into effect from the date of their notification in the official gazette.

1.3 These Guidelines shall apply to the OTC Platform, the OTC Platform Operator and participants on OTC Platform.

2. Scope of the Guidelines

These Guidelines seek to describe: (a) eligibility criteria; (b) procedure for filing application and grant of registration for establishing and operating OTC Platform; (c) operational and risk management framework; and (d) submission of information by the OTC Platform.

3. Definitions and Interpretation

3.1 In these Guidelines, unless the context otherwise requires:

a) **"Act"** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), as amended from time to time;

b) **"Business Rules"** means the Business rules of the OTC Platform;

c) **"Commission"** means the Central Electricity Regulatory Commission constituted under Section 76 of the Act;

d) **"Net worth"** means aggregate value of the paid-up equity share capital and compulsorily convertible preferential shares and free reserves (excluding reserves created out of revaluation and write back of depreciation) reduced by (i) the aggregate value of accumulated losses, (ii) deferred expenditure (including miscellaneous expenses) not written off, (iii) loans and advances to the Associates, and (iv) investments made in the Associates;

e) **"Over the Counter (OTC) Platform"** is an electronic platform for exchange of information amongst the buyers and sellers of electricity;

f) **"Over the Counter (OTC) Platform Operator"** means an entity registered to establish and operate the OTC Platform under PMR 2021 read with these Guidelines;

g) **"Payment of Fees Regulations"** means the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fees) Regulations, 2012, as amended from time to time or subsequent re-enactment thereof;

h) **"Power Market Regulations" or "PMR 2021"** means the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021, as amended from time to time; and

i) **"Relative"** shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013.

3.2 Save as aforesaid and unless repugnant to the context or if the subject-matter otherwise requires, words and expressions used in these Guidelines and not defined, but defined in the Act or PMR 2021 or other regulations made thereunder by the Commission shall have the meaning assigned to them in the Act or PMR 2021 or such other regulations made by the Commission.

4. Objectives of OTC Platform

The objectives of the OTC Platform as provided under Regulation 41 of PMR 2021 shall be to:

(i) provide an electronic platform with the information of potential buyer and seller of electricity;
(ii) maintain a repository of data related to buyers and sellers and provide such historical data to market participants; and
(iii) provide such services as advanced data analysis tools to market participants.

5. Requirement of Registration for operating OTC Platform

No entity shall operate an OTC Platform unless it has been granted registration to establish and operate such platform by the Commission under PMR 2021 read with these Guidelines.

6. Eligibility Criteria for Registration of OTC Platform

An applicant seeking grant of registration for establishing and operating an OTC Platform shall be required to fulfil the following criteria:

6.1 General Criteria

(i) The applicant shall be a company incorporated in India under the Companies Act, 2013.
(ii) Shareholding by non-residents, if any, in the applicant company seeking registration as an OTC Platform Operator shall conform to all applicable laws and regulations.
(iii) The applicant company shall have key managerial personnel with experience of at least five years in operating or developing technology services or products, preferably for power sector.

Explanation: The expression 'key managerial personnel' for the purpose of this clause shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013.

(iv) The following entities shall not be eligible to make application for establishing and operating an OTC Platform (Negative List):

(a) a power exchange or any of its associates;
(b) trading licensee or any of its associates; and
(c) grid connected entities such as generating companies, transmission licensees, distribution licensees, open access consumers or any person acting on their behalf, or any of their associates.

6.2 Technological criteria

(i) The applicant shall own and maintain robust technology infrastructure with a high degree of reliability, availability, scalability, and security in respect of its systems, data and network, appropriate to support its operations and manage the associated risks.
(ii) The applicant's technological infrastructure shall be capable of exchange of information on a real-time basis or near real-time basis.
(iii) Applicant shall formulate and implement a cyber security and cyber resilience framework to manage risk to systems, networks and databases from cyber-attacks and threats with the approval of the Board and submit it to the Commission for information. Security audit of the IT systems shall be carried out as per norms of the Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India.

6.3 Financial criteria

(i) In terms of sub-clause (a) of clause (1) of Regulation 43 of PMR 2021, the minimum Net worth of the applicant shall be Rs.1 (one) crore as on any date falling within 30 days immediately preceding the date of filing the application for grant of registration.

(ii) The Company or any of its Associates, or partners, or promoters, or Directors have not been declared insolvent.

7. Application Form and Documents for Registration to Establish and Operate an OTC Platform

The application shall be filed online as per **Form-I** appended to these Guidelines along with documents mentioned therein.

8. Procedure for Filing Application

8.1 Application for grant of registration to establish and operate OTC Platform shall be filed online (**Form-I**) through e-filing portal of the Commission along with the application fee as may be specified in the Payment of Fee Regulations.

8.2 The applicant shall publish the application along with details of the proposed OTC platform on its website as per **Form-II** inviting public objections and suggestions up to a period of 30 days from the date of publication of such notice on the website.

8.3 The applicant shall submit before the Commission, its reply on the objections and suggestions received.

9. Grant of Registration

9.1 The Commission may, after consideration of the proposal, and making such inquiries as may be considered necessary, either grant registration (as per **Form-III**) subject to such conditions as deemed fit for establishing and operating an OTC platform or reject the application of the applicant:

Provided that the Commission, before rejecting the application, shall give reasonable opportunity to the applicant of being heard.

9.2 In terms of clause (3) of Regulation 44 of PMR 2021, the registration of an OTC Platform shall continue to be in force for a period of **five (5**) years from the date of grant of registration unless such registration is revoked or cancelled earlier.

9.3 The registration granted to an entity to operate an OTC Platform is not transferrable.

9.4 The Commission may, on an application filed by the OTC Platform Operator, and after making such inquiries as may be necessary, renew registration for a further period of 5 years at a time.

10. Annual Registration Charge

10.1 An OTC Platform Operator shall pay annual registration charge as may be specified in the Payment of Fees Regulations.

10.2 The annual registration charge shall be payable by 30th April of every year.

11. Conditions of Registration

The Registration granted shall, inter-alia, be subject to the following conditions, namely:

(i) the OTC Platform Operator shall abide by the provisions of the Act, PMR 2021, these Guidelines and other applicable laws; and

(ii) the OTC Platform Operator shall inform the Commission in writing, whenever there is any material change in the information already submitted by the OTC Platform Operator to the Commission.

12. Operating Framework

The OTC Platform Operator shall ensure that the OTC Platform operates according to its Business Rules. The OTC Platform Operator shall adhere to the following requirements:

(i) Participation: An OTC Platform Operator shall:

(a) Have objective, fair and transparent criteria for participation on its OTC Platform.

(b) Undertake due diligence at the time of on-boarding of participants and maintain all relevant information about them.

(c) Identify participants on its OTC Platform uniquely using Legal Entity Identifier (LEI) or Permanent Account Number (PAN).

(ii) Access to Information: An OTC Platform Operator shall make available historical data related to buyers and sellers and provide such services as advanced data analysis tools, to all market participants in a fair and non-discriminatory basis.

13. Risk Management Framework

13.1 An OTC Platform Operator shall put in place a comprehensive risk management framework covering all aspects of its operations. It shall ensure that the risks associated with its operations are identified properly and managed prudently.

13.2 An OTC Platform Operator shall:

(a) Ensure access control for participants on its OTC Platform and prevent unauthorised access to its OTC Platform.

(b) Not engage in financial or infrastructure services, where there is a likelihood of conflict of interest.

(c) Ensure that operation of the OTC Platform is always in compliance with the conditions of registration and with legal and regulatory requirements.

13.3 The OTC Platform shall not engage in the negotiation, execution, clearance or settlement of the contracts.

13.4 The OTC Platform shall maintain neutrality without influencing the decision making of the participants in any manner.

14. Dispute resolution

An OTC Platform Operator shall put in place an arrangement to address any dispute that may arise or are likely to arise between its members.

15. Surveillance

An OTC Platform Operator shall implement systems and controls to ensure that participants participate with fairness and integrity and monitor the activities on a real time as well as post-facto basis.

16. Transparency

An OTC Platform Operator shall disclose conflict of interest, if any, arising from participation of related parties or group agencies to the Commission.

17. Preservation, Access and Reporting of Data

17.1 All data relating to the activities on the OTC Platform Operator shall be maintained in easily retrievable media for at least 10 years. Without prejudice to the minimum requirement for storage of data, the data sought for any investigation by the Commission or any other authority as required under the Indian laws or regulations shall be maintained for three years from the date of completion of the investigation.

17.2 The OTC Platform Operator shall:

(i) provide any data or information as required by Commission in the format and within the timeframe as may be required by the Commission;
(ii) submit copies of Annual Reports including Directors' report, Auditors' report, Balance Sheet and Profit and Loss Account along with all the Schedules and notes to the accounts, not later than nine months after the close of the respective financial year; and
(iii) inform the Commission of any event(s) resulting in disruption of activities or market abuse, if observed, without undue delay.

18. Revocation of Registration

18.1 The Commission may revoke the registration if the OTC Platform Operator is found to have violated the provisions of PMR 2021 or these Guidelines or any other rules or regulations or conditions of registration:

Provided that the Commission shall before revoking the registration for OTC Platform give the OTC Platform Operator a reasonable opportunity of being heard.

18.2 In case of rejection of the application of renewal received from the existing operators or revocation of registration by the Commission, the OTC Platform Operator shall stop the OTC Platform operations within 90 days, unless the Commission has indicated any other specific date in the written communication to stop operations of the OTC Platform.

18.3 In case of revocation of registration of an OTC Platform Operator, the registration in original shall be surrendered to the Commission.

HARPREET SINGH PRUTHI**,** Secy.
[ADVT.III/41 Excy./86/2022-23]

FORM-I

Application form for grant of Registration for OTC Platform

General Information

1. Name of the applicant:
2. Address:
   (a) Registered office address:
   (b) Address for correspondence:
   (c) Website address:
3. Name, Designation and Address of the contact person:
4. Contact Tel. Nos.:
5. Fax No.:
6. E-mail ID:
7. Status of the applicant:
   (Whether a company incorporated under the Companies Act, 1956 or 2013)
8. Place of Incorporation/Registration:
9. Year of Incorporation/Registration:
10. Clause of the Memorandum of Association which authorizes to set up & operate an OTC Platform (Extract the relevant portion).
11. (a) Authorised share capital
   (b) Issued share capital
   (c) Subscribed share capital
   (d) Paid up share capital

   Note: Copies of the following documents shall be enclosed
   (a) Certificate of incorporation/registration
   (b) Certificate for commencement of business, where applicable
   (c) Memorandum of Association and Articles of Association
   (d) Original power of attorney in favour of the signatory to commit the Applicant
   (e) Copy of PAN, TAN and ITR for previous year
12. (i) Net worth as per the last year's audited accounts prior to the date of application (if applicable).
   (ii) Net worth on the date of preparation of the special balance sheet in accordance with clause 6.3(i) of these Guidelines and accompanying the application.
13. Details of shareholding as on the date of making application
   (Give details of each of the shareholders holding 5% and above of the shares of the applicant directly or with relatives)
   (a) Name of the shareholder
   (b) Citizenship
   (c) Residential status
   (d) No. of shares held
   (e) Percentage holding of total paid up capital of the company
14. (i) Annual turnover as per the audited accounts for the last Financial Year(FY) prior to the date of application (if applicable).
   (ii) Turnover on the date of preparation of the special audited balance sheet in accordance with clause 6.3(i) of these Guidelines and accompanying the application.

Enclosures: List of Documents to be uploaded with the application

An applicant shall submit a brief description of OTC Platform for which authorization is sought, covering the details including but not limited to the following:

(i) Details of services offered

(ii) Key organizational structure

(iii) Key processes

(iv) Indicative project plan

(v) Organizational and Managerial capability of the applicant: The applicant is required to enclose proof of his Organizational and Managerial capability, in terms of these regulations, in form of his organizational structure and curriculum vitae of key and senior executives, proposed office and communication facilities, etc.

(vi) Approach and Methodology: The Applicant is required to describe approach and methodology for establishment of the arrangements as proposed by him.

(vii) Affidavit as per **Form-IV**

Place:

(Signature of the Applicant or the Authorized Person)

Date:

FORM-II

Name of the Applicant (in Bold letters)
Registered Office/Corporate Office Address (in Bold letters)

1.	The person above-named, a company incorporated under the Companies Act, 2013 (the applicant) has made an application for grant of registration of OTC platform before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi. The necessary details in respect of the applicant are given hereunder: i) Authorized, issued, subscribed and paid up capital. ii) Financial and technical strength. iii) Profile of the key managerial personnel. iv) Net worth as on the date of application. v) A statement whether the applicant is authorized to set up & operate an OTC Platform under the Memorandum of Association or any other document. vi) Details of cases, if any, where the applicant or any of his associates, or partner, or promoters, or Directors has been declared insolvent and has not been discharged. vii) Details of cases, if any, in which the Applicant or any of its Associates or partners or promoters or Directors have been convicted of an offence involving moral turpitude, fraud or any economic offence during the previous three years preceding the year of making the application and the year of making the applicant and the date of release of the above person from imprisonment, if any, consequent to such conviction. Name of the person Relationship with the Applicant Nature of offence Date of conviction
2.	The application made and other documents filed before the Commission are available for inspection by any person with …………………………… (Give name, designation, address and telephone number of the person with whom the application can be inspected).
3.	The application made and other documents filed before the Commission have been posted on ____ _______ (Give address of the website on which the application is posted).
4.	Objections or suggestions, if any, on the application made before the Commission may be sent to the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi within 30 days of publication of this notice, with a copy to the applicant.
5.	No objections or suggestions shall be considered by the Commission if received after expiry of 30 days of publication of this notice.

Place:

Date: Name and Designation of the Authorised Signatory

FORM-III

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

REGISTRATION OF OTC PLATFORM

1. The Central Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as 'the Commission'), in exercise of the powers conferred under the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as 'the Act'), hereby grants this registration as an OTC Platform Operator having its registered office situated at ______ in the area _____ subject to the terms and conditions contained in the Act, the Rules made by the Central Government under the Act (hereinafter referred to as 'the Rules') and the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2021 (specified by the Commission (hereinafter referred to as 'PMR 2021'), including statutory amendments, alterations, modifications, re-enactments thereof, which shall be read as part and parcel of this registration .
2. This registration is not transferable in accordance with the provisions of the Act, the Rules, the Regulations and the Guidelines for Registration and Filing Application for Establishing and Operating Over the Counter (OTC) Platform.
3. (i) The OTC Platform Operator shall not without prior approval of the Commission:
   (a) undertake any transaction to acquire by purchase or take over or otherwise, the utility of any licensee under the Act; or
   (b) merge its business with utility of any licensee under the Act.

   (ii) The OTC Platform shall not at any time assign its registration, or transfer its business, or any part thereof, by sale, lease, exchange or otherwise without the prior approval of the Commission;

   (iii) Any agreement relating to any transaction referred to in sub-clause (1) and subclause (2) unless made with the approval of the Commission, shall be void.
4. The grant of this registration to the OTC Platform Operator shall not in any way hinder or restrict the right of the Commission to grant a registration to any other person for OTC Platform. The OTC Platform Operator shall not claim any exclusivity.
5. This registration shall commence on the date of its issue and unless revoked earlier, shall continue to be in force for a period of 5 (five) years.
6. The OTC Platform Operator shall not engage in the business of trading of electricity or operating a power exchange.
7. Unless otherwise specified by the Commission, the OTC Platform Operator shall pay annual registration charge as may be specified in the Payment of Fees Regulations.

(Authorised Signatory)

FORM-IV

AFFIDAVIT

1. I/, Director of __________________ (hereinafter called "the Company"), incorporated on ___/___/_____ under the Companies Act, 2013 having its Registered Office at __________________and having CIN No __________________ do solemnly affirm and state as under:

2. The Company or any of its associates, or partners, or promoters, or Directors have not been declared insolvent.

3. The Company or any of its associates, or partners, or promoters, or Directors have not been convicted in cases for moral turpitude, fraud of economic offences during the year of making the application and three years immediately preceding the year of making application.

4. The Company or any of its Associates, or partners, or promoter, or Directors were not found guilty of contravention of any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made there under or an order made by the Appropriate Commission, in any proceedings.

I solemnly state that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false.

Signature: ____________________
(Deponent)

Verification:

I verify that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and belief.

Place: ________________ Signature: ________________
(Deponent)

Date: __________________

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.20 15:23:57 +05'30'